

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरु)  
पीठासीन अधिकारी- श्री मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस  
मुणाराम बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

मुकदमा नम्बर 298 / 2022

GCMS NO. - 2022/199

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	-----------------------------------	---

03.01.23

यह प्रार्थना-पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री मुणाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी बाघसरा आथुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बाघसरा आथुणा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में नया खाता संख्या 293 व पुराना खाता संख्या 289 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मुन्नो पुत्र पुरखा जाति जाट निवासी बाघसराआथुणा दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार मुणाराम पुत्र पुरखाराम है। प्रार्थी का नाम मुणाराम पुत्र पुरखाराम किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में प्रार्थी का नाम मुन्नो पुत्र पुरखा जाति जाट निवासी बाघसराआथुणा दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार मुणाराम पुत्र पुरखाराम है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व दस्तावेजात एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में नया खाता संख्या 293 व पुराना खाता संख्या 289 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

क्रं.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	बाघसरा	293 (नया) 289 (पुराना)	मुन्नो पुत्र पुरखा जाति जाट निवासी बाघसराआथुणा	मुणाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी बाघसराआथुणा

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हसब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़  
दिनांक:

क्रमांक: राजस्व / 2022 /



प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित है।
2. प्रार्थी श्री मुणाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी बाघसराआथुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़